UTTAR PRADESH POLICE

''सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा''

प्रेस नोट – 15.04.2021

सर्विलान्स / एस0ओ0जी0 व थाना शिकोहाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही

11 दिन पूर्व शिकोहाबाद व टूण्डला क्षेत्र में अर्टिगा गाडी में सवारी को बिठाकर लूट-पाट करने वाले अन्तर्जनपदीय शातिर लुटेरों को अवैध असलाहों के साथ किया गिरफ्तार ।

- **लुटेरे अर्टिगा गाडी में लोगों को सवारी के रूप में बिठाकर देते हैं लूट की घटना को अन्जाम।**
- **लुटेरों द्वारा पुनः थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में मैनपुरी रोड पर लूट करने की थी योजना।**
- **लुटेरों द्वारा पुलिस से बचने के लिए अर्टिगा गाडी की प्रत्येक घटना में बदल दी जाती थी नम्बर प्लेट।**
- **लुटेरे सवारी के रूप में बैठाने के बाद असलाहों के दम पर देते हैं घटना को अन्जाम।**

दिनांक 03.04.2021 को शाम के समय रणवीर सिहं पुत्र श्रीपाल सिहं नि0 संगमविहार नई दिल्ली अपने बेटे की शादी के कार्ड देने हेतु अपनी रिश्तेदारी मोहम्मदपुर माडई में जाने के लिए वाहन के इन्तजार में मैनपुरी चौराहा पर खडा था, तत्समय एक अर्टिगा गाडी में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आकर सवारी गाडी बताते हुए रणवीर उपरोक्त को गाडी में बिठाया और मैनपुरी रोड पर कुछ दूरी पर जाकर उससे अँगूठी और 6000/- रु0 लूट लिए, जिसके सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर मु0अ0सं0 213/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत हुआ था।

दिनांक 04.04.2021 को सुबह के समय मनोज पुत्र कचंन सिहं नि0 गली नं0 03 शिवपुरी कालोनी एटा रोड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद, अवागढ जाने के लिए वाहन के इन्तजार मे खडा था, तभी अर्टिगा गाडी नं0 यूपी 84 एल 8292 में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आकर सवारी गाडी बताते हुए अर्टिगा गाडी में बिठा लिया और थोडा आगे ले जाकर 10000/- रु0 लूट लिये, जिसके सम्बन्ध में थाना टूण्डला पर मु0अ0सं0 190/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत हुआ था।

एक ही रात्रि में लगातार 02 लूट की घटनाओं का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा गम्भीरता से तत्काल संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के पर्यवेक्षण में एस0ओ0जी0 व थाना शिकोहाबाद की एक संयुक्त टीम गठित कर लगातार लूट की 02 घटनाओं के जल्द से जल्द खुलासे हेतु निर्देशित किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में सर्विलान्स टीम द्वारा घटनाओं के अनावरण के क्रम में उक्त गैंग की निगरानी की जा रही थी कि तभी दिनांक 14.04.2021 को सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त गैंग पुनः वारदात करने की फिराक मैनपुरी रोड शिकोहाबाद पर सन्तजनू कालेज के पास इकट्ठा हो रहा है, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उच्चाधिकारीयों को अवगत कराकर एस0ओ0जी0 टीम व थाना शिकोहाबाद पुलिस को साथ लेकर घेराबन्दी कर घटना के लिए एकत्रित हो रहे 03 अभियुक्तों को मय अर्टिगा गाडी नं0 यूपी 84 एल 8292 के पकड लिया गया तथा तीन अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर भाग गये। पकडे गये अभियुक्तों के विरुद्ध थाना शिकोहाबाद पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोगों का एक सुसंगठित गैंग है जिसमें प्रत्येक का कार्य आवंटित है। हम लोग कस्बा घिरोर में एकत्रित होकर गाडी की नम्बर प्लेट बदलते हैं जिसके बाद शिकोहाबाद, टूण्डला, आगरा के भीड-भाड वाले चौराहों पर खडे हो जाते हैं तथा हम लोगों में से 02 व्यक्ति चौराहे पर जाते हैं और लूटने योग्य व्यक्ति से गन्तव्य स्थान की जानकारी करते हैं जब वह अपने गन्तव्य की जानकारी बता देता है तो फोन करके गाडी को लाने के लिए कह देते हैं और तुरन्त गाडी आ जाती है जिसमें हमारे साथी खुद बैठते हुए सवारी को भी बैठा लेते हैं, जिसके बाद असलाह के दम पर व्यक्ति से लूट कर उतार देते हैं। शिकोहाबाद व टूण्डला क्षेत्र में लूट की घटनाओं को हम लोगों ने मनोज उर्फ गजेन्द्र सिहं, आकाश , राहुल नट के साथ घटनाओं को अन्जाम दिया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1. सन्दीप पुत्र श्यामसुन्दर नि0 खरपरी थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

2. राजू पुत्र रामस्वरूप नि0 गोपीनाथ अड्डा थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।
3. इरशाद उल्ला पुत्र अशद उल्ला नि0 दरीबा आगरा रोङ थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

फरार अभियुक्तः-

1. मनोज उर्फ गजेन्द्र सिहं नागर पुत्र रक्षपाल सिहं नि0 नगला किसी थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।
2. आकाश पुत्र राणाप्रसाद नि0 नगला किसी थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।
3. राहुल नट पुत्र राजू नि0 गोपीनाथ अड्डा थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

बरामदगीः-

1. अर्टिगा गाङी (लूट में प्रयोग की गयी) - 01 अदद (यू0पी0 84 एल 8292)
2. लूटे गये रुपये - 6600 रु0
3. एक अँगूठी (पीली धातु) - 01 अदद
4. घटना में लूटा गया मोबाइल - 01 अदद
5. अवैध तमन्चा 315 बोर - 02 अदद
6. जिन्दा कारतूस 315 बोर - 05 अदद

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 190/2021 धारा 392/411 भादवि थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 213/2021 धारा 392/411 भादवि थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 246/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद बनाम सन्दीप उपरोक्त।
4. मु0अ0सं0 247/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद बनाम राजू उपरोक्त।

मनोज उर्फ गजेन्द्र का आपराधिक इतिहासः-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	428/2016	147/148/323/352/427/504/506 भादवि	घिरोर	मैनपुरी
2	429/2016	379 भादवि	घिरोर	मैनपुरी
3	190/2021	392/411 भादवि	टूण्डला	फिरोजाबाद
4	213/2021	392/411 भादवि	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद

उपरोक्त के अतिरिक्त इनके द्वारा किये गये अन्य अपराधों से सम्बन्धित आपराधिक इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः -

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार मलिक थाना शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
2. प्रभारी एस0ओ0जी0 कुलदीप सिहं, जनपद - फिरोजाबाद।
3. प्रभारी सर्विलान्स विक्रान्त तौमर , जनपद - फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 गौरव शर्मा थाना शिकोहाबाद, जनपद - फिरोजाबाद।
5. उ0नि0 अंकित मलिक थाना शिकोहाबाद, जनपद - फिरोजाबाद।

एस0ओ0जी0 टीमः- 1. आरक्षी 1192 नदीम खाँन 2. आरक्षी 1412 पवन कुमार 3. आरक्षी विजय कुमार 4. आरक्षी रवीन्द्र कुमार 5. आरक्षी भगत सिहं।

सर्विलान्स टीमः- 1. है0का0 673 आशीष शुक्ला, 2. आरक्षी 1337 मुकेश कुमार 3. आरक्षी 1361 अमित उपाध्याय 4. आरक्षी 118 रघुराज सिहं 5. आरक्षी 821 अनिल कुमार।

नोटः- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु 20000 रु. की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया गया है।